न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

अपील संख्या 02/2025 जी.सी.एम.एस नं0 2025/72 दर्ज तिथि:-29.01.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75, भू0राज0 अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 26.01.2021 ग्राम पंचायत भूडला जरिये सरपंच।

अपीलार्थी

1. लालाराम पुत्र स्व0 शिवसहाय जाति ब्राहमणर निवासी ग्राम रोजवाडी, तहसील बस्सी, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

1. ग्राम पंचायत भूडला जरिये सरपंच ग्राम भूडला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 शिवसहाय
3. रमेशचन्द पुत्र स्व0 शिवसहाय
4. सुशीला पुत्री स्व0 शिवसहाय
समस्त जाति ब्राहमण निवासी रोजवाडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

उपस्थितिः-

अपीलार्थी
अपीलान्ट अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा।

प्रत्यर्थीगण
रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4
अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत।

-:निर्णयः-

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 के पिता स्व0 शिवसहाय पुत्र प्रताप अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 26.01.2021 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 0.0379 है0 के हिस्सा 1/36 व भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 0.1517 है0 के हिस्सा 1/36, भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 0.0506 है0 के हिस्सा 1/36, भूमि खसरा नम्बर 44, 68 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9726 है0 के हिस्सा 1/6, भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 3.7303 है0 के हिस्सा 1/6 के सह खातेदार काश्तकार थे एवं उपरोक्त वर्णित भूमिया वाके ग्राम रोजवाडी पटवार हल्का भूडला, भू-अभिलेख क्षेत्र बांसखोह तहसील बस्सी (वर्तमान भू-अभिलेख क्षेत्र पाटन तहसील तूंगा) जिला जयपुर में स्थित है। पटवारी हल्का भूडला द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 355 जोकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्व० शिवसहाय पुत्र प्रताप की विरासत का नामान्तकरण है उक्त विरासत के कॉलम सं. 8 में दिनांक 31.01.2021 को अपीलाण्ट का नाम लालाराम पुत्र शिवसहाय के स्थान पर सहवन से राधामोहन पुत्र शिवसहाय दर्ज कर दिया था एवं पटवारी हल्का भूडला द्वारा उक्त नामान्तकरण की दर्ज करते समय अपीलांट के सही नाम की जांच नहीं की गयी थी एवं नही अपीलाण्ट से उनके नाम के बारे में जानकारी ली गयी एवं दिनांक 18.1.2021 को गिरदावर हल्का बांसखोह ने भी उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित नामान्तकरण में वर्णित अपीलांट के सही नाम की जांच नहीं की गयी थी एवं सही नाम की जांच किये बिना एवं अपीलाण्ट. से जानकारी किये बिना ही तुलना कर दी गयी एवं तत्कालीन सरपंच रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत भूडला द्वारा अपीलाण्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं कोई नोटिस दिये बिना एवं अपीलाण्ट के सही नाम की जांच किये बिना ही उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 355 को दिनांक 26.01.2021 को तस्दीक कर दिया था एवं उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में हो चुका है एवं अपीलाण्ट उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण से व्यथित है। अपीलाण्ट के सभी सरकारी दस्तावेजों में अपीलाण्ट का नाम लालाराम पुत्र शिवसहाय दर्ज हैं एवं अपीलाण्ट का नाम राधामोहन पुत्र शिवसहाय दर्ज नहीं है एवं इस कारण अपीलाण्ट उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण से व्यथित है, एवं इस कारण अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण को माननीय न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अपीलाण्ट को पूर्व में उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में दर्ज हुये अपने गलत नाम राधामोहन पुत्र शिवसहाय की जानकारी नहीं रही थी एवं दिनांक 07.01.2025 को अपीलाण्ट ने अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि की जमाबन्दी हाल जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का भूडला से देने के लिये कहा गया तो पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट का नाम व खसरा नम्बर पूछे व पिता का नाम पूछा तो अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का भूडला को अपना नाम लालाराम पिता का नाम शिवसहाय व खसरा नम्बर 76, 17, 43, 41, 44, 68, 16 बतलाये तो पटवारी हल्का भूडला ने बतलाया कि जमाबन्दी में आपका नाम राधामोहन दर्ज है एवं इस पर अपीलाण्ट ने उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 07.01.2025 को पटवारी हल्का भूडला से प्राप्त कर उसका अवलोकन किया तो उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में अपना नाम लालाराम के स्थान पर पटवारी हल्का भूडला द्वारा सहवन से राधामोहन दर्ज कर देने की जानकारी हुयी। अपीलाण्ट को उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

की हुयी गलती की जानकारी दिनांक 07.01.2025 को उक्त नामान्तकरण की नकल पटवारी हल्का से लेने पर हुयी है एवं इस प्रकार उक्त अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट की ओर से प्रस्तुत कर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 355 दिनांक 26.1.2024 ग्राम पंचायत भूडला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तस्दीक किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे व तहसीलदार बस्सी को रिमाण्ड किया जावे कि वे अपीलाण्ट के सही नाम की जांच पटवारी हल्का भूडला से करवाकर व अपीलाण्ट से दस्तावेज लेकर एवं पटवारी हल्का भूडला से अपीलाण्ट का सही नाम मृतक खातेदार स्व. शिवसहाय पुत्र प्रताप के विरासत के नामान्तकरण में दर्ज करवाकर पुनः सभी वारिसान के नाम दर्ज करवाकर व गिरदावर हल्का बांसखोह से तुलना करवाकर तस्दीक किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली पर प्रत्यर्थीगण/रेस्पोण्डेटस को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत वकालतन उपस्थित आये। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने अपील के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये। बावजूद सम्यक तामील हाजिर नहीं आने पर रेस्पोण्डेटस संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

3. प्रकरण पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों प्रतिलिपी ग्राम पंचायत भूड़ला के नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 26.01.2021, प्रतिलिपी आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि का अवलोकन पश्चात् हम पाते है कि अपीलान्ट ग्राम रोजवाडी के खसरा नम्बर 76, 17, 43, 41, 44, 68, 16 में खातेदार काश्तकार है एवं उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट लालाराम पुत्र शिवसहाय के स्थान पर राधामोहन पुत्र शिवसहाय अंकित किया होना स्पष्ट है। अपीलान्ट लालाराम पुत्र शिवसहाय व राधामोहन पुत्र शिवसहाय एक ही व्यक्ति का नाम होना प्रतित होता है। जिसे अपीलान्ट शुद्ध करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप ग्राम पंचायत भूडला द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 26.01.2021 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। अतः

—:आदेश:—

उपयुर्क्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण न्यायहित में स्वीकार की जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरंपच ग्राम पंचायत भूडला द्वारा पारित ग्राम रोजवाडी तहसील तूंगा के खसरा नम्बर 76, 17, 43, 41, 44, 68, 16 के नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 26.01.2021 को अपास्त कर खारिज किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार तूंगा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रोजवाडी के खसरा नम्बर 76, 17, 43, 41, 44, 68, 16 में खातेदार काश्तकार है एवं उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट राधामोहन पुत्र शिवसहाय के स्थान पर लालाराम पुत्र शिवसहाय के नाम जाँच उपरान्त नियमानुसार भरा जाकर तस्दीक की कार्यवाही करें। तहसीलदार तूंगा को नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner